

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2018—चैत्र 7, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018

क्र. 5409-86-इक्कीस-अ(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 मार्च, 2018 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ८ सन् २०१८

## मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१८

[ दिनांक २७ मार्च, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ मार्च, २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गईं ]

वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१८ है.

वित्तीय वर्ष २०१७-१८ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,८८,९२,६५,७०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये दो सौ अठासी करोड़ बानवे लाख पैंसठ हजार सात सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१७-२०१८ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०६.	वित्त	राजस्व	१००	०	१००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	१००	०	१००
०८.	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	०	१३,८४,९००	१३,८४,९००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	०	६९,८७,३७,६००	६९,८७,३७,६००
२३.	जल संसाधन	पूंजी	५००	०	५००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	४१,४००	०	४१,४००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२६. संस्कृति	राजस्व	७२,५२,००,०००	०	७२,५२,००,०००
३०. ग्रामीण विकास	पूंजी	३००	०	३००
३२. जनसंपर्क	राजस्व	३२,५०,००,०००	०	३२,५०,००,०००
३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	राजस्व	७५,००,००,२००	०	७५,००,००,२००
५५. महिला एवं बाल विकास	राजस्व	३००	०	३००
६४. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	०	२८,८९,००,०००	२८,८९,००,०००
६७. लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	३००	०	३००
योग {				
राजस्व :		१,९०,०२,००,७००	९८,९०,२२,५००	२,८८,९२,२३,२००
पूंजी :		४२,५००	०	४२,५००
वृहद योग :		१,९०,०२,४३,२००	९८,९०,२२,५००	२,८८,९२,६५,७००

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2018

क्र. -86-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, 2018 (क्रमांक 8 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 8 OF 2018

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2018.

[Received the assent of the Governor on the 27th March, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th March, 2018.]

**An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2017-2018.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-ninth year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2018.

Short title.

Issue of Rs. 2,88,92,65,700 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2017-18.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Two hundred eighty eight crore ninety two lakh sixty five thousand seven hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2017-2018 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE  
(See Sections 2 and 3)

(1) No of Vote	(2) Services & purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
01.	General Administration	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
06.	Finance	Revenue	100	0	100
07.	Commercial Tax	Revenue	100	0	100
08.	Land Revenue and District Administration	Revenue	0	13,84,900	13,84,900
12.	Energy	Revenue	0	69,87,37,600	69,87,37,600
23.	Water Resources Department	Capital	500	0	500
24.	Public Works-Roads and Bridges	Capital	41,400	0	41,400
26.	Culture	Revenue	72,52,00,000	0	72,52,00,000
30.	Rural Development	Capital	300	0	300
32.	Public Relations	Revenue	32,50,00,000	0	32,50,00,000
35.	Micro, Small & Medium Enterprises	Revenue	75,00,00,200	0	75,00,00,200

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
55.	Women and Child Development	Revenue	300	0	300
64.	Financial assistance to Urban bodies	Revenue	0	28,89,00,000	28,89,00,000
67.	Public Works-Buildings	Capital	300	0	300
Total		Revenue	1,90,02,00,700	98,90,22,500	2,88,92,23,200
		Capital	42,500	0	42,500
Grand Total			1,90,02,43,200	98,90,22,500	2,88,92,65,700